



2026:AHC-LKO:21848

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 भा.ना.सु.सं. - सं. 1202/2026

विनय कुशवाहा

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : गंधर्व गौर

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. श्रीमती कनकलता सिंह और श्री विनय कुमार दुबे, अधिवक्ताओं ने, विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और इसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. प्रार्थी की विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्तागण श्रीमती कनकलता सिंह और श्री विनय कुमार दुबे, राज्य के विद्वान अ.शा.अ. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. वर्तमान प्रार्थना पत्र दं.प्र.सं. की धारा 482 (अब धारा 528 भा.ना.सु.सं.) के अंतर्गत दायर किया गया है, जिसमें वाद संख्या 51385/2025 (राज्य बनाम विनय कुशवाहा) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। यह कार्यवाही याचिकाकर्ता के विरुद्ध, दिनांक 23.04.2025 की आक्षेपित आरोप-पत्र के आधार पर शुरू की गई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 114/2025 से संबंधित है और जिसमें धारा 69, 115(2), 352, 351(3) भा.न्या.सं., 2023 जिला - लखनऊ के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), लखनऊ द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 15.05.2025 को भी अपास्त करने की मांग की गई है; यह मांग याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के बीच दिनांक 17.03.2026 को हुए समझौते के आधार पर की गई है, और यह आदेश केवल उस सीमा तक अपास्त करने योग्य है जहाँ तक इसका संबंध याचिकाकर्ता से है, तथा जो संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है।

4. प्रार्थीगणों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी गलतफहमी के चलते प्रार्थीगणों के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और उसके बाद, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने विवाद को सुलझा लिया है। समझौते का यह दस्तावेज़ 17.03.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे को लेकर कोई शिकायत नहीं है; ऐसे में प्रार्थीगणों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही एक व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि मुकदमे का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह कार्यवाही प्रार्थीगणों को परेशान करने के समान है, और इसलिए, प्रार्थीगणों के विरुद्ध चल रही इस आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
5. दूसरी ओर, विपक्षी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने एक समझौता-पत्र के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है; अब विपक्षी को वर्तमान प्रार्थीगणों के विरुद्ध कोई और शिकायत नहीं है, और प्रार्थीगणों के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।
6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अ.शा.अ. को उपर्युक्त कथनों पर कोई आपत्ति नहीं है।
7. अब, पक्षों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसका सबसे अच्छी तरह पता अवर न्यायालय ही लगा सकती है; क्योंकि ऐसे समझौते



का संबंधित पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, इस प्रार्थना पत्र का **निपटारा** संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि यदि उसके समक्ष कोई ऐसा समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, और उसके बाद, वह समझौते का सत्यापन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक आख्या तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का हिस्सा बना दिया जाएगा।
9. ऐसी स्थिति में, न्यायालय पक्षों को आख्या के साथ-साथ समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा; और प्रार्थीगणों के लिए यह खुला रहेगा कि वे कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिए पुनः इस न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
10. तीन महीने की अवधि के लिए, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या 114/2025 अंतर्गत धारा 69, 115(2), 352, 351(3) भा०न्या०सं० 2023, जिला - लखनऊ के तहत शुरू की गई कार्यवाही, जहाँ तक प्रार्थीगणों का संबंध है, स्थगित रहेगी।
11. विचारण न्यायालय को यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में शामिल पक्ष हैं; और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक आख्या भी भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता को मूल समझौता-पत्र यदि कोई हो, की छायाप्रति लेने के पश्चात्, उसे वापस कर दे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

26 मार्च, 2026

राज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।